भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4039
दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पशुपालन संबंधी योजनाएं

4039. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आम लोगों को पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में पशुपालन विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बहराइच संसदीय क्षेत्र के कितने किसान लाभ पाने के लिए पात्र हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग बहराइच संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में लोगों के लाभ के लिए योजनाएं लागू कर रहा है।

(ग) क्रियान्वयन का योजना-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) लागू नहीं होता।

******

अनुबंध

डॉ. आनंद कुमार द्वारा पशुपालन संबंधी योजनाओं के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर देने के लिए पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4039 के भाग 'ग' के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(I) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना का घटक 'क'

उत्तर प्रदेश में एनपीडीडी योजना के तहत 9123.78 लाख रुपये (केंद्रीय हिस्सा 7496.00 लाख रुपये) के कुल परिव्यय के साथ 8 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्रीय/जिला स्तरीय दुग्ध संघों के माध्यम से प्रादेशिक सहकारी डेयरी परिसंघ (पीसीडीएफ) द्वारा किया जा रहा है। अनुमोदन के बाद, राज्य द्वारा 4 परियोजनाओं को पूरी तरह से वापस ले लिया गया और जारी की गई निधियां वापस कर दी गई हैं। आज की तिथि तक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना के तहत 848.91 लाख रुपये की निधियों का उपयोग किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी, उपयोग की गई, वापस की गई और अव्ययित निधियां:

(लाख रु. में)

वर्ष	जारी निधियां	उपयोग की गईं निधियां	अव्ययित निधियां
2019-20	501.64	125.50	0.00*
2020-21	0.00	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.00	0.00
2023-24	97.00	97.00	0.00
2024-25 (दिनांक 20.03.2025 तक)	447.90	0.00	447.90
कुल	1046.54	222.50	447.90

* 376.14 लाख रु. वापिस कर दिए गए।

उत्तर प्रदेश राज्य में वास्तविक स्थिति:

मानक		परियोजना का लक्ष्य (वृद्धिशील)	उपलब्धि
डेयरी सहकारी समिति (संख्या)		2361	288
दूध उत्पादक सदस्य ('000)		144.840	11.520
औसत दैनिक दूध खरीद (टीएलपीडी)		452.4	15.09
औसत दैनिक दूध विपणन (टीएलपीडी)		237.69	2.08
डेयरी संयंत्र प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण		13	13
बल्क दुग्ध कूलर	संख्या	27	0
	क्षमता	95.00	0.00
डाटा प्रोसेसिंग और दूध संग्रहण इकाई (सं.)		210	196
किसानों, डीसीएस स्टाफ और डेयरी कार्मिकों का प्रशिक्षण (सं.)		27100	6765

एनपीडीडी योजना का घटक 'क': बहराइच जिला

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस योजना के तहत 1.366 लाख रुपये की लागत से 246 किसान और डीसीएस कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

एनपीडीडी योजना का घटक 'ख'

योजना के तहत, श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 18.81 करोड़ रुपये (ऋण: 4.88 करोड़ रुपये; अनुदान: 13.13 करोड़ रुपये; पीआई योगदान 0.80 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ 1 परियोजना को अनुमोदित किया गया है। संस्वीकृत परियोजना में प्रतापगढ़, जौनपुर, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर के साथ-साथ बहराइच भी शामिल हैं।

परियोजना के तहत निम्नलिखित वास्तविक प्रगति हुई है:

विवरण	इकाई	श्वेतधारा एमपीसी	
		संस्वीकृत लक्ष्य	उपलब्धि
दूध खरीद अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण			
नई डीसीएस/एमपीआई	सं.	510	265
एएमसीयू/डीपीएमसीयू	सं.	683	330
बल्क मिल्क कूलर	कि.ली.	40	30
नामांकित किसान सदस्य	सं.	15300	4000
अतिरिक्त दूध खरीद	टीकेजीपीडी	66.4	13
चारा विकास			
चारा बीजों का वितरण (टीएल/प्रमाणित/ हाइब्रिड)	एमटी	45	0.4
ग्राम स्तर पर साइलेज का निर्माण (250 एमटी)	सं.	3	2

2. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ):

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अम्ब्रेला योजना "अवसंरचना विकास निधि" के एक भाग के रूप में 500 करोड़ रुपये यानी प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ) संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है। योजना के घटक "ख" के तहत, उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों (पीओआई) को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, शीघ्र और समय पर भुगतान के लिए, ऋण चुकौती/ब्याज सेवा अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष ब्याज सबवेंशन देय है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान लखनऊ दुग्ध संघ के लिए 26 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के सापेक्ष नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 19.35 लाख रुपये की निधि जारी की गई। इसके बाद के वर्ष में लखनऊ दुग्ध संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(II) राष्ट्रीय गोकुल मिशन:

(i) कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और कार्यक्रम के तहत किसानों के द्वार पर निःशुल्क एआई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बहराइच जिला निर्वाचन क्षेत्र में 1.36 लाख पशुओं को कवर किया गया है, जिसमें कुल 2.05 लाख एआई किए गए हैं, जिससे कुल 0.94 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) 90% सटीकता के साथ सेक्स सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके बछियों का उत्पादन करने के लिए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम और कार्यक्रम के तहत किसानों को सेक्स सॉर्टेड वीर्य की लागत का 50% तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।

(iii) आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम और कार्यक्रम के तहत किसानों के लिए 5000 रुपये प्रति सुनिश्चित गर्भाधान प्रोत्साहन उपलब्ध है।

(iv) किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना। बहराइच में कुल 155 मैत्री को प्रशिक्षित किया गया है।

(v) देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की पहचान करने हेतु जीनोमिक चयन के लिए जीनोमिक चिप।

(vi) देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए संतति परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रम।

(vii) वीर्य उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार प्राप्त करने के लिए वीर्य स्टेशनों को सुदृढ़ करना।

(III) राष्ट्रीय पशुधन मिशन:

भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 से 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)' नामक एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया है और इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अंब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना को दिनांक 21 फरवरी, 2024 को पुनः संशोधित किया गया, जिसमें बंजर भूमि/रेंज भूमि/अवक्रमित वन भूमि से चारा उत्पादन के साथ-साथ ऊंट, घोड़े और गधे की नस्ल-उन्नयन को शामिल किया गया है। इस योजना के तीन उप-मिशन हैं:

(i) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों को और नस्ल सुधार संबंधी अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर सघन ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन, ऊंट, घोड़े, गधे की इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को 50% सब्सिडी प्रदान करती है।

(ii) पशु आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार करने के लिए चारा बीज श्रृंखला को सुदृढ़ करना, चारा ब्लॉक / हे बेलिंग/ साइलेज निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और बंजर भूमि / अवक्रमित भूमि से चारा उत्पादन करना है। ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए क्रमशः 250 रुपये प्रति किलोग्राम, 150 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(iii) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन: इसउप-मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और आहार एवं चारा क्षेत्र, विस्तार कार्यकलापों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है। क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, पशुपालन और योजनाओं के लिए प्रचार कार्यकलापों सहित विस्तार सेवाओं, सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शन कार्यकलापों और राज्य सरकार के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य आईईसी

कार्यकलापों के लिए केंद्रीय एजेंसियों, आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों को सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) राष्ट्रीय पशुधन मिशन-पशुधन बीमा कार्यकलाप के तहत, चालू वित्तीय वर्ष में 3.06 लाख पशुओं के बीमे को कवर करते हुए, उत्तर प्रदेश को 7.71 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत, 78.35 करोड़ रु. के कुल परियोजना मूल्य के साथ 145 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, और अनुमोदित सब्सिडी राशि 32.90 करोड़ रु. है। अब तक, विभाग ने 31 परियोजनाओं को पहली किस्त के रूप में 4.7844 करोड़ रु. जारी किए हैं, जबकि छह परियोजनाओं को योजना की शुरुआत से अब तक 1.015 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है।

(IV) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम:

विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन दे रहा है, जिसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना, प्रशिक्षण, प्रचार और जागरूकता को सुदृढ़ करके पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना है।

i. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण और गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी) के तहत पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) के टीकाकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। बहराइच जिले में, एफएमडी टीकाकरण की कुल संख्या: 16,15,137; ब्रुसेला टीकाकरण की कुल संख्या 928; पंजीकृत पशुओं की कुल संख्या 3,38,043 और लाभान्वित किसानों की कुल संख्या: 1,33,911 है।

ii. राज्य प्राथमिकता वाले विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए एलएचडीसीपी के तहत पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)।

iii. एलएचडीसीपी के पशु चिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 4016 एमवीयू कार्य कर रही हैं जो रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाओं के संबंध में किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। जिला बहराइच में कुल 8 एमवीयू कार्य कर रही हैं।

****